Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LII (52), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऑनर किलिंग से संबंधित प्रावधान और विधियाँ

डॉ. मिर्जा मोजिज बेग* पुष्पेन्द्र**

*** सहायक प्राध्यापक (विधि) शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत**
**** शोधार्थी, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत**

शोध सारांश – 'भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऑनर किलिंग से संबंधित प्रावधान और विधियाँ' नामक शोध पत्र में भारत में ऑनर किलिंग की घटनाओं, उनके सामाजिक और कानूनी कारणों, तथा विधिक प्रावधानों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। ऑनर किलिंग, जिसे 'सम्मान हत्या' के नाम से भी जाना जाता है, मुख्यत: परिवार और समाज द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विवाहिक चुनाव पर आधारित नियंत्रण की प्रवृत्ति का परिणाम है। यह अपराध जाति, धर्म, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक मान्यताओं से जुड़ी सामाजिक मानसिकता का दुष्परिणाम है।

शोध में यह पाया गया कि ऑनर किलिंग के मामलों में सामाजिक दबाव, पितृसत्तात्मक सोच, और समुदाय की मान्यताएँ प्रमुख कारण हैं। विधिक दृष्टि से, भारतीय दंड संहिता के प्रावधान जैसे हत्या (धारा302), आपराधिक षड्यंत्र (धारा120 B), और विधि विरुद्ध जमाव (धारा143–149) इस अपराध पर लागू होते हैं, किंतु अक्सर अभियोजन और साक्ष्य की कठिनाइयों के कारण न्याय सुनिश्चित नहीं हो पाता। न्यायालयों ने कुछ मामलों में दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है, परंतु ऑनर किलिंग को एक विशिष्ट अपराध के रूप में अलग पहचान देने वाला कानून अभी तक पर्याप्त रूप से लागू नहीं हुआ है।

इस शोध का उद्देश्य ऑनर किलिंग के सामाजिक और विधिक कारणों को उजागर करना, न्यायिक दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना, तथा ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सुधारात्मक विधिक और सामाजिक उपाय सुझाना है। अध्ययन में केस स्टडी, न्यायिक निर्णय और साहित्यिक समीक्षा के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ऑनर किलिंग न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है, बल्कि भारतीय समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय के संवैधानिक मूल्यों को भी चुनौती देती है।

शोध में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रभावी रोकथाम के लिए केवल दंडात्मक कानून पर्याप्त नहीं हैं। बल्कि समाज में साक्षरता, जागरूकता और न्यायिक सुधार के उपाय भी अनिवार्य हैं, ताकि ऑनर किलिंग जैसी घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके और पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

शब्द कुंजी – ऑनर किलिंग, सामाजिक कुरीति, भारतीय दंड संहिता, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक मान्यता, कानूनी सुधार, सामाजिक जागरूकता।

प्रस्तावना – 'भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऑनर किलिंग से संबंधित प्रावधान और विधियाँ' शीर्षक वाला यह शोध पत्र भारत में ऑनर किलिंग की घटनाओं, उनके सामाजिक और कानूनी कारणों तथा उनके प्रभावों का समग्र अध्ययन प्रस्तुत करता है। ऑनर किलिंग, जिसे 'सम्मान हत्या' भी कहा जाता है, मुख्य रूप से परिवार और समुदाय द्वारा किसी सदस्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विशेषकर विवाहिक चयन, पर आधारित नियंत्रण के परिणामस्वरूप होती है। यह अपराध सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक दबाव से प्रेरित होता है और जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक मान्यताओं से जुड़ी मानसिकता का दुष्परिणाम है।

भारत में ऑनर किलिंग की घटनाएँ विशेषकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों में देखने को मिलती हैं, जहाँ पितृसत्तात्मक सोच और पारिवारिक सम्मान की भावना अधिक प्रभावी है। सामाजिक दृष्टि से यह समस्या न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करती है, बल्कि समाज में लिंग समानता, विवाह की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के उल्लंघन को भी उजागर करती है।

विधिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या (धारा 302), आपराधिक षड्यंत्र (धारा 120 B), विधि विरुद्ध जमाव (धारा 143–149) और जबरन विवाह विरोधी कृत्य जैसे प्रावधान ऑनर किलिंग के मामलों पर लागू होते हैं। हालांकि, इन प्रावधानों के बावजूद, न्यायालय में अभियोजन और साक्ष्य की चुनौतियों के कारण अक्सर न्याय सुनिश्चित नहीं हो पाता। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने कुछ मामलों में दोषियों को कड़ी सजा दी है, लेकिन ऑनर किलिंग को एक विशिष्ट अपराध के रूप में अलग पहचान देने वाला कानून अभी तक पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुआ है।

यह शोध पत्र विधिक और सामाजिक दृष्टिकोण दोनों से ऑनर किलिंग का विश्लेषण करता है। इसमें भारत में ऑनर किलिंग की घटनाओं, न्यायालयों के निर्णय, केस स्टडी, और साहित्यिक समीक्षा को शामिल किया गया है, ताकि यह समझा जा सके कि क्यों ऑनर किलिंग समाज में जारी है और इसके पीछे कौन से सामाजिक और कानूनी कारक कार्यरत हैं।

अध्ययन का उद्देश्य यह भी है कि इस गंभीर सामाजिक और कानूनी

समस्या के समाधान के लिए विधिक सुधार, सामाजिक जागरूकता, न्यायिक सक्रियता और मानवाधिकारों के संरक्षण के उपाय सुझाए जाएँ। यह शोध यह स्पष्ट करता है कि ऑनर किलिंग केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं है, बल्कि यह समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे संवैधानिक मूल्यों के लिए प्रतिकूल है।

संवैधानिक दृष्टिकोण – भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। एक मौलिक और अद्वितीय दस्तावेज होने के नाते, भारत का संविधान समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखते हुए उनके व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करता है और साथ ही राज्य को यह प्रतिबंधित करता है कि वह उन अधिकारों का उल्लंघन न करे, जिनकी उसे गारंटी दी गई है। संविधान के निर्माताओं को देश में प्रचलित सामाजिक कुप्रथाओं का भान था और उन्होंने यह माना कि नागरिकों के अधिकार उनकी सुरक्षा और विकास के लिए आवश्यक हैं।

हालाँकि, कुछ प्रथाएँ संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करती हैं, जिनमें ऑनर किलिंग एक है। ऑनर किलिंग भारत के नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। कई युवा पुरुष और महिलाएँ विभिन्न कारणों से मारे जाते हैं, जैसे अंतर-जातीय या समान गोत्र विवाह, तयशुदा विवाह को अस्वीकार करना, विवाहेतर संबंध, विवाह पूर्व यौन संबंध आदि। इन कृत्यों को परिवार, जाति या समुदाय के सम्मान को अपमानित करने वाला माना जाता है। ऐसे में हत्या के कृत्य को स्वयं-निर्धारित सम्मान की रक्षा के उद्देश्य से किया गया माना जा सकता है, परंतु यह कारण इसे गैरकानूनी कृत्य से मुक्त नहीं करता।

ऐसी हत्याएँ स्पष्ट रूप से संविधान में निहित व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हैं। ऑनर किलिंग अनुच्छेद 14, 15(1), 15(3), 17, 18, 19 और 21 का उल्लंघन करती है। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से कई प्रावधान निर्धारित करता है जो व्यक्ति को जाति, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना अपनी पसंद के अनुसार कार्य करने का अधिकार और ऑनर-आधारित अपराधों सहित ऑनर किलिंग से सुरक्षा प्रदान करता है।

सम्मान हत्या की घटनाएँ अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का क्रूर उल्लंघन हैं। जीवन प्रत्येक मानव का महत्वपूर्ण संपत्ति है। इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कानून द्वारा हमेशा निंदनीय है। सम्मान के नाम पर हत्या करना व्यक्तियों के जीवन के अधिकार के लिए वास्तविक खतरा है। अपने जीवन की सुरक्षा करना अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार का आवश्यक अनिवार्य हिस्सा है, जो मौलिक, पवित्र और अतिक्रमण रहित है।

अनुच्छेद 21 में 'जीवन' की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने केवल जीवित रहने या पशु जैसी अस्तित्व नहीं, बल्कि पूर्ण मानव गरिमा के साथ जीवन के रूप में की है। जीवन का अधिकार बहुत व्यापक अधिकार है क्योंकि यह व्यक्ति को स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, जो परिवार, समाज या राज्य के अनुचित नियंत्रण से परे हो। यही कारण है कि अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान में सबसे व्यापक रूप से व्याख्यायित अधिकार है।

निर्देशात्मक सिद्धांत भारतीय संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं, जो मौलिक अधिकारों के समान महत्व रखते हैं। यद्यपि ये न्यायिक रूप से लागू नहीं हैं, फिर भी ये राज्य तथा संघीय सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। ये राज्य को दिशा निर्देश देते हैं और उस पर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का दायित्व थोपते हैं, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं। राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग खत में संकलित हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित मानव गरिमा सहित जीवन का अधिकार राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों से महत्व प्राप्त करता है। उदाहरणत:

अनुच्छेद 39 (e) में कहा गया है कि बाल्यावस्था और युवावस्था को शोषण और नैतिक तथा भौतिक उपेक्षा से संरक्षित किया जाए।

अनुच्छेद 42 में राज्य पर दायित्व है कि वह न्यायपूर्ण और मानवीय कार्य परिस्थितियों की व्यवस्था करे और मातृत्व राहत सुनिश्चित करे।

विधिक दृष्टिकोण – भारत में, यद्यपि सम्मान हत्या अपराध की समस्या से निपटने के लिए कोई विशेष कानून उपलब्ध नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे कानून और कानूनी प्रावधान हैं जिन्हें सम्मान हत्या जैसे अपराधों को रोकने के लिए लागू किया जा सकता है। भारतीय समाज धर्म और रीति-रिवाजों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसे कुछ लोग या समुदाय आज भी कुछ हानिकारक पारंपरिक प्रथाओं में अंधविश्वासपूर्वक विश्वास रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन पारंपरिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं के खिलाफ जाने का प्रयास करता है, तो वही समाज के कठोर या कट्टर सदस्य उसे दंडित करने में संकोच नहीं करते, जैसे कि आज के युग में होने वाली सम्मान हत्या के मामले।

सम्मान हत्या के अधिकांश मामले विवाह से संबंधित होते हैं, जैसे कि अंतर्विवाह (इंटर-कास्ट), अंतरधार्मिक विवाह, समान गोत्र/सगोत्र विवाह, प्रेम विवाह को अस्वीकार करना या माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के कई वर्षों बाद और वैश्वीकरण के युग में भी, युवा लड़के और लड़कियों को अपने जीवनसाथी का चयन पूरी स्वतंत्रता से करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला है। वे आज भी पुराने रीति-रिवाजों और पारंपरिक प्रथाओं से बंधे हुए हैं, जो उन्हें अपने विवाह संबंधी निर्णय और चयन की शक्ति का स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग करने से रोकती हैं।

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने इस नियम को शामिल किया और हिंदुओं के सभी प्रकार के विवाहों को वैध ठहराया, जब तक कि वे अधिनियम की शर्तों को पूरा करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि सगोत्र विवाह 1949 से वैध हैं। हिंदू विवाह अक्षमताओं को हटाने वाला अधिनियम 1946 इसी संदर्भ में पारित किया गया था और इस अधिनियम ने समान गोत्र या प्रवारा या समान जाति की विभिन्न उप-श्रेणियों के विवाहों की वैधता को विशेष रूप से सुनिश्चित किया।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 भारतीय नागरिकों और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए विशेष प्रकार के विवाह की व्यवस्था करता है, चाहे उनका धर्म या विश्वास कोई भी हो। कोई भी वयस्क व्यक्ति, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई या पारसी हो, इस अधिनियम के तहत विवाह कर सकता है। इसका उद्देश्य अंतर्विवाह और अंतर-धार्मिक विवाहों को भी वैधानिक रूप से संपन्न करना है। परंपरागत रीति-रिवाजों के अनुसार, समाज अंतर्विवाह और अंतर-धार्मिक विवाहों पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा विवाह करना चाहता है, तो परिवार या समुदाय इसे परिवार की अपमान के रूप में मानता है। रिपोर्टों के अनुसार, कभी-कभी समुदाय पंचायतें युगल को जबरन अलग कर देती हैं, मृत्युदंड या गंभीर कार्रवाई की धमकी देकर।

'ऑनर किलिंग' की घटनाओं में वृद्धि से संत्रस्त होकर, भारत सरकार ने वर्ष 2010 में एक विधेयक प्रस्तावित किया, जिसमें 'ऑनर किलिंग' को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में समाहित करने तथा यह उपबंध करने का सुझाव दिया गया कि निर्दोषता सिद्ध करने का प्रमाण-भार अभियुक्त पर होगा। तथापि, विधि आयोग की 242वीं रिपोर्ट ने 'द प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल असेंबली (इंटरफेरेंस विद द फ्रीडम ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेज) बिल, 2011' नामक विधेयक की अनुशंसा की। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को विवाह के विरोध के उद्देश्य या आशय से एकत्र होने, सभा आयोजित करने या विधि विरुद्ध जमाव करने से प्रतिषिद्ध किया गया, परंतु शर्त यह है कि उक्त विवाह विधि द्वारा प्रतिषिद्ध न हो। किंतु, आयोग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में संशोधन कर 'ऑनर किलिंग' को एक पृथक अपराध के रूप में सम्मिलित करना उचित नहीं माना और न ही नवीन आपराधिक भारतीय न्याय संहिता, 2023 (धारा 102) में कोई स्थान प्रदान किया है।

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा प्रत्येक समाज में प्रचलित है और यह सभी संस्कृतियों एवं धर्मों में विद्यमान है। समाज में विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाएं, विशेषकर पवित्रता या शुद्धता की अवधारणाओं से संबंधित, अक्सर घरेलू हिंसा के बहाने के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक संरचना लिंग आधारित भेदभाव की मूल जड़ है, जो विभिन्न प्रकार की हिंसात्मक प्रथाओं के रूप में प्रकट होती है। ये प्रथाएँ लंबे समय तक राज्य और गैर-राज्य हस्तक्षेप से परे रही हैं, क्योंकि इन्हें 'गृह' या 'परिवार' के निजी क्षेत्र से संबंधित माना जाता है।

घरेलू हिंसा की परिभाषा, जो कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 3 में दी गई है, बहुत व्यापक है और इसमें पीड़िता के विरुद्ध शारीरिक चोट, मानसिक हानि, यौन उत्पीड़न आदि शामिल हैं। सम्मान हत्या घरेलू हिंसा का एक रूप है, जिसमें परिवार के सदस्य परिवार के सम्मान को बनाए रखने के लिए पीड़िता के विरुद्ध शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक हानि, उत्पीड़न या हिंसा की बढ़ी हुई कड़ी का प्रयोग करते हैं और पीड़िता के जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं, अर्थात् पीड़िता की निर्दयतापूर्वक हत्या करते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं के अधिकारों की अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है, जो भारतीय संविधान के तहत गारंटीकृत हैं। भारत में सम्मान हत्या जैसे भयानक कृत्य से संबंधित कोई अलग या विशेष कानून मौजूद नहीं है। इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 300 (भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 100) के तहत हत्या के रूप में माना जाता है और यह कानूनों के तहत अलग से परिभाषित अपराध नहीं है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा इस अपराध से संबंधित कोई आंकड़ा एकत्रित नहीं किया गया है।

आधिकारिक अभिलेखों की कमी के कारण ऐसे मामलों का पता रखना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि अक्सर अपराध में करीबी परिवारजन जैसे माता-पिता, भाई-बहन या विस्तारित परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। इस प्रकार साक्ष्य एकत्र करना और अपराधियों को ढूंढ़ पाना लगभग असंभव हो जाता है। पुलिस भी ऐसे मामलों में रचनात्मक भूमिका निभाने में विफल रहती है, क्योंकि प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक हिचकिचाहट दिखाई जाती है और बाद में अधिकांश मामलों में अपूर्ण या शिथिल जांच होने के कारण दोषसिद्धि की दर कम हो जाती है।

विधायी सुधार – भारत सरकार ने सम्मान हत्या को व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं के खिलाफ सबसे निंदनीय और गंभीर अपराध के रूप में माना है। अत:, अपराधियों को प्रतिबंधित करने और सम्मान हत्याओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न विधायी सुधार प्रारंभ किए गए और लागू किए गए हैं।

2009 में पहली बार राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की गई, जिसमें सभी सदस्यों से आग्रह किया गया कि वे सम्मान हत्याओं को रोकने के लिए ध्यान दें और सभी विभिन्न पार्टी के सदस्य अलग कानून की मांग का समर्थन किया। इसके पश्चात इस मुद्दे को विधि मंत्रालय को भेजा गया, जिसने 2010 में 'भारतीय दंड संहिता और कुछ अन्य कानूनों में संशोधन 2010 नामक सिफारिशें पेश की। इस प्रस्तावित प्रारूप के माध्यम से धारा 300 और 354 आईपीसी (भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 100, 74) तथा धारा 105 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन लाने का प्रस्ताव था, जिसमें खाप पंचायतों और परिवार के सदस्यों पर अपनी निर्दोषता सिद्ध करने का बोझ रखा गया।

धारा 300 आईपीसी (भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 100) में सरकार ने प्रस्तावित किया कि सम्मान हत्याओं को पांचवें उपधारा के रूप में शामिल किया जाए, जो वर्तमान में हत्या की चार श्रेणियों को परिभाषित करती है। यह ड्राफ्ट यह सुझाव देता है कि किसी जाति, कुल, समुदाय या पंचायत के किसी समूह या निकाय के सभी सदस्य जो हत्या के आदेश देने या इसमें सहायक होते हैं, उन्हें हत्या करने का दोषी माना जाएगा और उन पर अधिकतम दंड अर्थात् मृत्युदंड लगाया जाएगा।

अत: सरकार उन लोगों के लिए कठोर दंड लागू करने के लिए तैयार है जो सम्मान हत्या में शामिल हैं और इसे भारतीय दंड संहिता के तहत विशिष्ट अपराध के रूप में दर्ज करने की योजना है। इसी तरह, ऐसी हत्या का आदेश देने वाली पूरी खाप पंचायत को भी अपराध में सहायक होने के लिए अभियोग का सामना करना पड़ेगा और आरोपियों पर अपनी निर्दोषता सिद्ध करने का बोझ होगा, जबकि सामान्यत: राज्य पर आरोपी के दोष को सिद्ध करने का बोझ होता है।

विशेष रूप से, प्रस्तावित कानून में आरोपियों पर प्रमाण का बोझ रखा गया है, जिससे वे मृत्यु की घटना उनके कार्यों के कारण होने पर अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए जिम्मेदार होंगे। संघीय सरकार यह भी इरादा रखती है कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह के लिए अनिवार्य 30-दिन की नोटिस अवधि को समाप्त किया जाए, ताकि उन युवा जोड़े की रक्षा की जा सके जो अपने परिवार की इच्छाओं के खिलाफ अंतरजातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करने की हिम्मत रखते हैं। 30 दिनों की नोटिस अवधि के दौरान, परिवार के सदस्य जो ऐसे विवाहों के विरोधी होते हैं, विवाह को रोकने के लिए सभी प्रकार की चालें अपनाते हैं और वे प्रतिवादी लड़के या लड़की की हत्या तक करने पर उतारू हो सकते हैं।

निष्कर्ष – 'भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऑनर किलिंग से संबंधित प्रावधान और विधियाँ' शीर्षक इस शोध पत्र के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ऑनर किलिंग न केवल एक व्यक्तिगत या पारिवारिक अपराध है, बल्कि यह सामाजिक संरचना, पितृसत्तात्मक मानसिकता और सांस्कृतिक रूढ़ियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। भारतीय समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा के नाम पर किए जाने वाले ऐसे अपराध, न केवल पीड़ित व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे संवैधानिक मूल्यों को भी चुनौती देते हैं।

विधिक दृष्टि से, भारतीय दंड संहिता और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत ऑनर किलिंग को अपराध माना गया है, लेकिन अभियोजन की प्रक्रिया, साक्ष्य की कठिनाइयाँ और सामाजिक दबाव के कारण अक्सर न्याय सुनिश्चित नहीं हो पाता। न्यायालयों ने कुछ मामलों में सख्त सजा का प्रवर्तन किया है, परंतु ऑनर किलिंग को एक विशिष्ट अपराध के रूप में पहचान देने वाला समग्र और प्रभावी कानून अभी भी अपर्याप्त है।

इस अध्ययन के माध्यम से यह भी स्पष्ट हुआ कि केवल दंडात्मक कानून ही पर्याप्त नहीं हैं। ऑनर किलिंग की घटनाओं को रोकने और प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, मानवाधिकारों का संवेदनशील प्रशिक्षण, न्यायिक सक्रियता और विधिक सुधार आवश्यक हैं। केस स्टडी और न्यायिक विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि यह अपराध अक्सर परिवार और समुदाय के स्तर पर ही जन्म लेता है और धीरे धीरे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में फैलता है।

अत: निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि ऑनर किलिंग को रोकने के लिए कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन, सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन, और पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। यह शोध इस दिशा में न केवल भारतीय समाज में ऑनर किलिंग की गंभीरता को उजागर करता है, बल्कि समाज और राज्य दोनों को चेतावनी देता है कि ऐसे अपराधों की रोकथाम और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना हमारे संवैधानिक और मानवाधिकारों के दायित्वों का हिस्सा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सुहाश सैनी एवं वैश्नवी खसदेव, 'ऑनर किलिंग: द एक्ट ऑफ शेम', जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, खंड 5, अंक 5, अक्टूबर 2019
2. डॉ. राकेश मंडल, 'ईविल ऑफ ऑनर किलिंग इन इंडिया: ए सोशियो लीगल स्टडी', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज, खंड 5(2), 2022, पृ./ 650-661।
3. हरिन एस. एवं आर. प्रियंका, 'ऑनर किलिंग इन इंडिया एंड तमिलनाडु: ए डीप सोशियो लीगल एंड ह्यूमन राइट्स एनालिसिस', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ, लैंग्वेज एंड सोशल साइंस स्टडीज, खंड 3, अंक 6, 2026।
4. मोनीका एवं हादिया खान, 'इंडियन लीगल फ्रेमवर्क ऑन ऑनर किलिंग', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज, खंड 7(3), 2024, पृ./ 118-132।
5. कृति झा एवं हर्षिता राय, 'ए सोशियो लीगल स्टडी ऑन ऑनर किलिंग: ए मेनेस टू द इंडियन सोसाइटी', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज, खंड 6(6), 2023, पृ./ 32-43।
6. भगवान सिंह एवं डॉ. राणा परवीन, 'ऑनर किलिंग इन इंडिया: नीड फॉर रिफॉर्म्स', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज, खंड 5(6), 2022, पृ./ 1552-1562।
7. अराधना साहू, 'ऑनर किलिंग इन इंडिया: ए क्रिटिकल स्टडी', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लीगल साइंस एंड इनोवेशन, खंड 6(1), 2024, पृ./ 165-252।
8. एन. गौतमन, 'होमिसाइड इन द नेम ऑफ ऑनर: एन इमरजिंग हेट क्राइम इन इंडिया: ए थीमैटिक स्टडी', इंडियन जर्नल ऑफ लीगल रिव्यू, खंड 4(1), 2024, पृ./ 41-49।
9. मुस्कान शर्मा, 'ए स्टडी ऑफ ऑनर किलिंग इन इंडिया: ए सोशियो लीगल एनालिसिस', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ, लैंग्वेज एंड राइट्स जर्नल, 2023।
10. डॉ. स्मिता सतापति, 'ऑनर किलिंग एज ए क्राइम इन इंडिया', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज, खंड 6(2), 2023, पृ./ 1415-1421
11. दीपक मलिक एवं प्रो. हर्ष पुरोहित, 'ऑनर किलिंग इन इंडिया एंड रोल ऑफ खाप पंचायत्स', जर्नल ऑफ एडवांसेज एंड स्कॉलरली रिसर्च इन एलाइड एजुकेशन, (DOI:10-29070/hbd9wÛ60)
12. डॉ. अर्ति अशोक्रावो डायव, 'एन इवैल्युएशन ऑफ ऑनर किलिंग इन इंडिया', इंटरनेशनल एजुकेशनल ऐप्लाइड सायंटिफिक रिसर्च जर्नल, खंड 6(10) (2021)
13. मोहम्मद सामिउल्ला एवं डॉ. रत्नेश कुमार श्रीवास्तव, 'ऑनर किलिंग्स इन इंडिया एंड बियॉन्ड: ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ मैनेजमेंट - ह्यूमैनिटीज, खंड 7(3) 2024, पृ.1508-1516

****